राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

(1)

उनवान......प्रतिनिधि......बनाम......दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति......

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 37/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.22	पत्रावली वास्ते बहस हेतु पेश। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. भी उपस्थित। बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता सुनी जाकर वास्ते आदेश दिनांक 22 को पेश हो।	
5.12.22	P.O. साहब अवकाश पर होने से पत्रावली मुल्तवी दिनांक 12.12.22 को पेश हो।	
2.22	पत्रावली वास्ते आदेश पेश की। उभयपक्ष फरीकेन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मंदिर मूर्ति श्री गोविन्द देवजी महाराज बनाम सवाई माधोपुर एवं करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में माननीय B.o.R द्वारा दिनांक 2.2.18 को स्वीकार कर एक पक्षीय डिक्री अपास्त कर डीक्री एवं प्रकरण पुनः Remand किया गया। माननीय B.o.R के निगरानी आदेश की पालना में विवादित आराजियात के एकपक्षीय डिक्री दिनांक 31.8.2009 की पालना में रेस्पो. के नाम खोला गया नामान्तरण संख्या 349/19.5.2010 भूल व [illegible] होने से पुनः राजस्व रेकर्ड में [illegible] किए जाने का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 16.3.2020 को खारिज कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अपीलार्थी के नाम पुनः राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.02.28 15:54:24 IST
Reason: SelfAttested

(2)

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान... [illegible] गोविन्द देवी बनाम... दुर्गाप्रसाद [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मु.नं. 32/2020

क्रिया जारी।

पक्षों में संक्षिप्त कथन करते हुए उल्लेख किया कि अदालत मातहत द्वारा 'मेजर' को भी एक 'वयस्क' मान लिया गया जबकि वह Perpetual Minor Jurisdiction person है। जब मा० BoR ने निगरानी स्वीकार कर एकपक्षीय डिक्री अदालत मातहत को लौटा कर Remand किया गया है तो पूर्व में सभी आदेश स्वतः ही निरस्त हो गये हैं। परन्तु अदालत मातहत द्वारा डिक्री की पुनः बहाली का प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के विपरीत खारिज किया गया है।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दृष्टान्त RHD 2005 P 199-206, RAJ 17 (2010) P 520 पेश किया।

अधिवक्ता रेस्पो० का कथन है कि प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार मा० BoR को है। आदेश की रिविजन का प्रावधान है न कि अपील का।

उभयपक्षान बहस पर मनन किया गया। रिकार्ड का अवलोकन किया गया। दृष्टान्तों पर मनन किया गया। CPC आदेश 43 का अवलोकन कर मनन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.02.28 15:54:24 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी याचिका में जारी आदेश दिनांक 02.02.18 अपीलार्थी के पक्ष में एकपक्षीय डिक्री निरस्त होने पर अदालत मातहत

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर (3)

उनवान...मु०निर्मोहि गोविन्ददेव जी... बनाम...दुर्गाप्रसाद आदि...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मु॰ 32/2020	

उपखण्ड अधिकारी गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर में रेकर्ड में अपीलार्ट के नाम पुन: अमल दरामद पेश करने पर खारिज किए जाने के विरुद्ध की गई है।

आदेश ~~नियम~~ 43 सिविल प्रक्रिया संहिता का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर यह तथ्य है कि आदेश में ~~आदेश~~ धारा 144 सीपीसी का प्रावधान नहीं है।

परन्तु RRD 2005 पेज 199 में माननीय राजस्व मंडल राजस्थान द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध 'अपील' के क्षेत्राधिकार को न्यायोचित ठहराया है इस आधार पर प्रस्तुत अपील का श्रवणाधिकार है। अधि. रेस्पो. के कथनों का कोई आधार नहीं है।

मा॰ राजस्व मण्डल, राजस्थान के निगरानी आदेश दिनांक 02.02.2018 में अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के एकपक्षीय डिक्री आदेश निरस्त किए जाने पर "धारा 144 प्रत्यास्थापना CPC लागू होगी। और प्रथम न्यायालय का यह दायित्व है कि वह रेकर्ड में किए गए परिवर्तन को 'पुन:स्थापित' करे

परन्तु अदालत मातहत द्वारा केवल यह विवेचना कि अपीलार्ट व रेस्पोडेन्ट दोनों "संस्था" हैं [illegible], विधिक प्रावधानों के विपरीत एवं [illegible] राजस्व मंडल [illegible] आदेशों की पालना की अवहेलना है।

अपीलार्ट राज. काश्तकारी अधि. 1955 की धारा 42 में एक "शाश्वत अवयस्क" है वह संस्था न होकर विधिक व्यक्ति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.02.28 15:54:24 IST
Reason: SelfAttested

(2)

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान......मुनिसिमो ९८८ कुमार गोविन्द ......बनाम......दु.ग.श.उ.प.१.१०७......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मु० 32/2020
	जब अपीलार्ट के पक्ष में माननीय BoR का आदेश पारित होने पर रेकार्ड के प्रतिअनु प्रार्थना पत्र लगाया गया तो उक्त प्रावधानों की अनुपालना में डिक्री से पूर्व रेकार्ड की बहाली की जाती। अदालत मातहत का यह तथ्य कि "अभी दोनों पक्षों से साक्ष्य सबूत लिये जाकर निर्णय होना शेष है" इस तथ्य के आधार पर मान० BoR के निगरानी आदेश दिनांक 02.02.2008 द्वारा जो अनुतोष अपीलार्ट को मिला है, अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी द्वारा धारा 144 CPC प्रार्थनापत्र आदेश दिनांक 16.3.20 द्वारा खारिज किया गया है, जो अपास्त योग्य है।
	RRD 2005 P 199 व RBJ (17) 2010 1560 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।
	उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्ट स्वीकार किया जाकर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के आदेश दिनांक 12.3.20 को निरस्त किया जाता है और आदेश किए जाते है कि मा० BoR के निगरानी आदेश दिनांक 02.02.2018 के शर्तों की पालना में राजस्व रेकार्ड में 31.8.2009 के पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर [illegible] सुनिश्चित करावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अदालत मातहत को प्रेषित की जावे। निर्णय खुले इजलास आज दिनांक 12.12.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल कुमार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.02.28 15:54:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील ...
सवाई मा...